

# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

website:www.education.rajasthan.gov.in/elcmentary

## कार्यालय आदेश

निम्नांकित परीवीक्षाधीन कर्मिकों को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, की अभिशंषा पर कर्मिकों को उनके नाम के सामने अंकित विश्वविद्यालय से पत्राचार पाठ्यक्रम अन्तर्गत स्वयं के व्यय पर अध्ययन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	जिला	नाम कर्मिक/पदस्थापन	संबन्धित विश्वविद्यालय का नाम/वर्ष
1.	जालौर	श्रवण कुमार अध्यापक राप्रावि, राव बरती बोरली प.स.चित्तलवाना	पत्राचार बी.एड अनुमति इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
2.	जालौर	गोपाल विश्नेई, अध्यापक, राप्रावि, ढाको की ढाणीपुर प.स. सांचौर	पत्राचार बी.एड अनुमति इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
3.	जालौर	सावलाराम, अध्यापक राउप्रावि, बडसम प.स.सांचौर	पत्राचार बी.एड अनुमति इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
4.	जालौर	प्रदीप चौधरी, अ. राउप्रावि, मंवरिया धानोल प.स.रानीघाडा	पत्राचार बी.एड अनुमति इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
5.	जालौर	सुरेश कुमार अध्यापक, राप्रावि, ढाको की ढाणी खारा प.स. सांचौर	पत्राचार बी.एड अनुमति इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
6.	जालौर	विक्रम कुमार तैवर अध्यापिका, राप्रावि, सह की ढाणी राह प.स. भीनमाल	पत्राचार बी.एड महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्ष 2019-20 (प्रथम वर्ष)
7.	सिरोही	राहुल कुमार, अ., राप्रावि, रेबारियो का गोलुआ, डाक प.स.रेवदर	पत्राचार बी.एड अनुमति इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली वर्ष 2020-22 (प्रथम वर्ष)
8.	बाडमेर	कुमारी संतोष विश्नाई, अराप्रावि, बलोच बस्ती, अब्दुला का तला प.स. सेडवा	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
9.	बाडमेर	सुनीता कुमारी, अध्यापिका राउप्रावि, नागाना, मुंदो की ढाणी प.स.बाडमेर	पत्राचार बी.एड अनुमति इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)

उपरोक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. कर्मिक को अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
2. आशार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के गलत पाये जाने पर अनुज्ञा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
3. पाठ्यक्रम की वैधता न होने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार से मान्यता न होने की स्थिति में संबंधित कर्मिक उत्तरदायी होगा, तथा किसी भी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा।
4. कर्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
5. सत्र 2020-21 हेतु पुष्क से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

निदेशक की आज्ञा से

21/4/2020

उपनिदेशक (पंराज)

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिशिवा/प्रां/शि.स/एफ-4/पत्रा.बी.एड.अनु/समस्त.म/2020/ दिनांक:-17.02.2020

प्रतिलिपी:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, सिरोही/जालौर/बाडमेर
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान.....।
3. पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,.....।
4. संबंधित अध्यापक राप्रावि/राउप्रावि,..... जिला .....
5. रक्षित पत्रावली।

21/4/2020

उपनिदेशक (पंराज)

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर